

देवघर समाहरणालय
(जिला भू-अर्जन शाखा)

-: अधिसूचना :-

दिनांक : 29/05/2013

अधिसूचना संख्या 370/भू अ0
चूँकि झारखण्ड सरकार/समाहर्ता को यह प्रतीत होता है कि ग्राम :-रघुवाडीह, थाना :-पालोजोरी, थाना सं०-460, अंचल:-पालोजोरी,जिला -देवघर में भूमि सार्वजनिक प्रयोजन, यथा परियोजना- नोनीहाट-बासुकीनाथ- केराबानी-पालोजोरी-बगदाहा मोड़ पथ चौड़ीकरण हेतु अपेक्षित है। प्रभावित परिवारों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के प्रयोजनार्थ अपर समाहर्ता अथवा नियम 2(1)(ख) के तहत नियुक्त पदाधिकारी प्रशासक के रूप में नियुक्त किए गए हैं। अतएव अधिसूचित किया जाता है कि ग्राम :- रघुवाडीह, थाना :-पालोजोरी, थाना सं०-460, अंचल:-पालोजोरी जिला :- देवघर में उपर्युक्त कथित परियोजना के लिए कमोवेश 0.71 एकड़ का भूखंड, जिसका विस्तृत विवरण निम्नलिखित है, अर्जनाधीन है :-

क.स.	खाता सं.	सर्व भूखंड सं०	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन के अधीन क्षेत्रफल (एकड़ में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम व पता	सीमा (भूखंड सं०)			
							उ०	द०	पू०	प०
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	46	73	रैयती	बाड़ी-2	0.30	लखु मूर्म पति स्व० मोहरील मराण्डी वो पीथु मराण्डी वो सोना राम मराण्डी पे० स्व० चोहन मराण्डी ।	दाग नं०-72	रास्ता	रघुनाथ पुर	दाग नं०-84
2	46	84	रैयती	धानी-3	0.15	तथैव				
3	46	85	रैयती	बाड़ी-2	0.09	तथैव				
4	55	231	रैयती	बाड़ी-1	0.005	अमलाबती पति स्व० विश्वनाथ राय वो बालो राय वो सोनू राय पे० स्व० काली राय वो रामचन्द्र राय पे० स्व० जागेश्वर राय वो नुनुलाल राय वो निलकंठ राय वो वासुदेव राय पे० स्व० कैलाश राय वो भीम राय वो दीलीप राय वो शुकर राय पे० स्व० महेश राय वो बद्री राय पे० स्व० कार्तिक राय वो सीताराम राय पे० स्व० बुटन राय वो रघुनाथ राय पे० स्व० लखन राय ।				
5	55	228	रैयती	बाड़ी-1	0.005	तथैव				
6	2	225	रैयती	बाड़ी-1	0.10	सुकदेव राउत पे० स्व० मानदेव राउत वो जयदेव राउत पे० स्व० कोदो राउत वो उपकार राउत माता कोशिला देवी वो अहलिया देवी पे० स्व० रामेश्वर राउत वो जीतन राउत वो पंचानन्द राउत वो दानी राउत वो अजय राउत पे० स्व० बाबु लाल राउत ।				
7	2	224	रैयती	बाड़ी-2	0.04	तथैव				
8	2	280	रैयती	गढिया	0.02	तथैव				
कुल योग-					0.71					

यह अधिसूचना भू-अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम-2013 (अधिनियम संख्या 30/2013), की धारा-11 (1) के उपबंधों के अधीन सभी संबंधित व्यक्तियों के लिए जारी की जाती है।

भूमि की योजना का निरीक्षण जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, देवघर के कार्यालय में किसी कार्य दिवस को कार्यावधि में किया जा सकेगा। झारखण्ड सरकार/समाहर्ता-सह-समुचित सरकार उक्त अधिनियम की धारा 12 में यथाउपबंधित एवं यथाविनिर्दिष्ट कार्यों के समुचित निष्पादन हेतु अपेक्षित किसी भूमि का सर्वेक्षण एवं उसकी प्रविष्ट करने, किसी भूमि के किसी स्तर को मापने के लिए, अवभूमि खोदने या भू-वेधन-छिद्र करने सहित सभी अन्य कार्यों के संचालन करने हेतु जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, देवघर और उनके कर्मचारियों को प्राधिकृत करती है।

अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई व्यक्ति जिला समाहर्ता के पूर्विक अनुमोदन के बिना इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई अंतरण यथा कय/विक्रय नहीं करेगा या ऐसा कोई अंतरण करवाएगा या ऐसी भूमि पर कोई अवभार नहीं उत्पन्न करेगा। अधिनियम की धारा 15 के अधीन यथाउपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से 60 दिनों के अंतर्गत भू-अर्जन बाबत किसी प्रकार की आपत्तियाँ हितबद्ध व्यक्ति द्वारा जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, देवघर के समक्ष दर्ज की जा सकेगी।



समाहर्ता-सह-उपायुक्त
देवघर।

ज्ञापांक 370...../ भू अ0, देवघर, दिनांक 29/05/2017 507

प्रतिलिपि : संबंधित भूधारियों को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : अंचल अधिकारी, पालोजोरी को सूचनार्थ एवं सूचना पट्ट में लगाने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : अनुमण्डल पदाधिकारी, मधुपुर को सूचनार्थ एवं सूचना पट्ट में लगाने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला सूचना एवं जनसम्पर्क पदाधिकारी, देवघर को दो दैनिक समाचार पत्रों में जिसमें से एक स्थानीय भाषा में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : प्रभारी पदाधिकारी, जिला गजट शाखा, देवघर को आगामी असाधारण/पाक्षिक अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, देवघर को सूचनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि देवघर जिला के वेबसाईट पर प्रदर्शित करने का कृपा करें।



समाहर्ता-सह-उपायुक्त
देवघर।